

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
किशनगंज।

पटना, दिनांक- 10/7/18

विषय:- किशनगंज नगर परिषद अन्तर्गत एक योजना का प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण किशनगंज के पत्रांक-319 दिनांक-20.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा विषयांकित निम्न एक योजना का प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।

प्राक्कलन के जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित की राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि	परिमाण विपत्र व राशि
1.	किशनगंज नगर परिषद अन्तर्गत वार्ड नं०-32 एवं 33 में काशीनाथ शर्मा के घर से कुष्ठ कोलोनी होते हुए माछमारा एवं पट्टी करबला चौक से रमजान नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	रु० 78.92700 लाख विशेष सचिव का पत्रांक-104 दिनांक- 02.02.2018	रु० 73.652 लाख	रु० 7292989.00

अतः उक्त योजना के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक-एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तकनीकी टीका-टिप्पणी में अंकित निदेशों के अनुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटियाँ होंगी तो इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी।


अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/7/18
अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- किशनगंज नगर परिषद अन्तर्गत वार्ड नं०-32 एवं 33 में काशीनाथ शर्मा के घर से कुष्ठ कोलोनी होते हुए माछमारा एवं पट्टी करबला चौक से रमजान नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 78,92,700 /- (अठहत्तर लाख बिरानवे हजार सात सौ रुपये) मात्र विशेष सचिव का पत्रांक 104 दिनांक 02.02.2018 से प्राप्त।
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 73,65,200 /- (तेहत्तर लाख पैंसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
- 4 अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि:- 72,92,289 /- (बहत्तर लाख बिरानवे हजार दो सौ नब्बासी रुपये) मात्र
- 5 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुसूचित प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अद्यतन अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(v) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(vi) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(vii) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमता पूर्वक हो सके।
(viii) PCC कार्य एवं RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्वॉरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।
(xii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं०-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xiii) नाले में प्रयुक्त होने वाले Reinforcement में टाटा / सेल / Vizag / Ispaat Nigam मेक स्टील FE 500 का प्रयोग करेंगे।
(xiv) पथ की पूरे लम्बाई का एक बार ही लेवल लेना होगा तथा इसके आधार पर वास्तविक मात्रा की मिट्टी निकालनी होगी तथा इसी मात्रा के आधार पर मिट्टी कार्य का भुगतान होगा।
(xv) प्राक्कलन में पथ के क्रॉस में कैंबर का प्रावधान करेंगे ताकि पानी का जमाव पथ क्रॉस पर ना हो।
(xvi) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।


अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना